दिनांक 08.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले गैंग का सक्रिय सदस्य जनपद मथुरा से 195 कि0ग्रा0 अवैध गांजा सहित गिरफ्तार।

दिनाकः 07–12–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले गैंग के सक्रिय तस्कर कन्हैया लाल सिंह को थाना कोसीकलां, जनपद मथुरा से 195 कि0ग्रा0 अवैध गांजा सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1–कन्हैया लाल सिंह पुत्र अयज कुमार निवासी ग्राम खैर मालीपुरा, थाना खैर, जनपद अलीगढ़।

बरामदगी :–

1– 195 किलोग्राम गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग पचास लाख रूपये)

2– एक गाड़ी नम्बर यूपी–81–जीटी–1636 अशोक लीलैण्ड केन्टर

3– एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी।

4– रू0 2480/–नकद

5– एक अदद वोटर आईडी,

6– एक अदद आधार कार्ड,

7– एक अदद ड्राईविंग लाईसेंस।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–07–12–2025 समय–20.30 बजे न्यू कोसी कामर रोड के पास थाना क्षेत्र कोसीकलां, जनपद मथुरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 07–12–2025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध गांजा भरकर नूँह मेवात कोसीकलां मथुरा के रास्ते फरीदाबाद जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल निरीक्षक आकाश सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 स0पु0 लाल सिंह, व हे0का0 दिनेश गौतम हे0का0 दिनेश चौधरी, की एक टीम जो आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद मथुरा में भ्रमणशील थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय थाना कोसीकलां पुलिस को अवगत कराते साथ लेकर उपरोक्त स्थान पर बेरिकेडिंग लगाकर चैकिंग करने लगे तभी समय करीब–12.30 बजे कामर रोड की तरफ से एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे मुखबिर द्वारा बताया गया कि यही ट्रक है। एसटीएफ टीम द्वारा ट्रक को रोकने के प्रयास पर ट्रक के अन्दर बैठा एक व्यक्ति घबराकर परिचालक की तरफ की खिड़की को खोलकर ट्रक से कूदकर भागने लगा, जिसे एक बारगी दबिश देकर पास के खेत में करीब 20 कदम की दूरी पर पकड़ लिया। पूछने पर अपना नाम कन्हैया लाल बताया और बताया कि गाड़ी में गांजा भरा है उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त की सहमती पत्र लेकर हस्ताक्षर कराये गये, जिस पर उपरोक्त बरामदगी हुई, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह गाड़ी नम्बर यूपी–81–जीटी–1636 कैन्टर का चालक है। उक्त गाड़ी विनोद कुमार निवासी अलीगढ़ की है। उक्त गाड़ी में रायपुर छत्तीसगढ़ से अन्य माल की आड़ में अवैध गांजा रखवाया गया। गाड़ी मालिक विनोद कुमार उपरोक्त के बताये गये स्थान पर ले जाकर उसके द्वारा ही भेजे गये व्यक्ति को उक्त गांजा दे देता है। इस कार्य के प्रत्येक चक्कर पर उसे रू0 30,000/– मिलते हैं। लगभग 02 कुन्तल गांजा मालिक विनोद कुमार के कहने पर ग्वालियर मे भी उतारा है और बचा माल फरीदाबाद क्षेत्र में उतारने हेतु बताया गया, गाड़ी को गुप्त रास्ते से ले जा रहा था व मालिक द्वारा बताये जाने पर गांजा खरीदने वाली पार्टी को दे देता।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोसीकलां, जनपद मथुरा में मु0अ0स0 744/2025 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा रुपये 50,000/– के इनामिया वांछित अभियुक्त पंकज व उसका एक अन्य सहयोगी नरेंद्र को पुलिस मुठभेड़ के दैरान गिरफ्तार कर, कब्जे 01 अदद 0.315 बोर देसी कट्टा, 02 खाली खोखा, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद मोटरसाइकिल एवं कुछ दस्तावेज व 2,050/–नगद रूपये बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा थाना सैनी जनपद कौशान्बी में पंजीकृत मु०अ०सं०–367/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित रूपये 50,000/– के इनामिया वांछित तस्कर जिसका नाम पंकज त्रिपाठी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद त्रिपाठी नि0 अकबरपुर सिपाह थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी को पुलिस मुठभेड़ दौरान घायल(दाहिने पैर में गोली) व उसका एक अन्य साहयोगी जिसका नाम नरेंद्र त्रिपाठी नि0 थाना गदागंज जनपद रायबरेली को थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद 0.315 बोर देसी कट्टा, 02 खाली खोखा, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद मोटरसाइकिल एवं कुछ दस्तावेज व 2,050/– नगद रूपये बरामद कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है । एडीडीसीपी साउथ व एसीपी मोहनलालगंज द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. पंकज त्रिपाठी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद त्रिपाठी नि0 अकबरपुर सिपाह थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी ।
2. नरेंद्र त्रिपाठी नि0 थाना गदागंज जनपद रायबरेली ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दि0– 08.12.2025 स्थान–कंकाहा चौकी के पास की सड़क, थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ ।

बरामदगी का विवरण–

1– 01 अदद 0.315 बोर देसी कट्टा

2– 02 खाली खोखा

3– 01 अदद जिंदा कारतूस

4– 01 अदद मोटरसाइकिल

5– कुछ दस्तावेज व 2,050/– नगद रूपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 मनीष कुमार, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ
2. हे0का0 धीरेन्द्र राय, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ
3. हे0का0 राजेश यादव, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ
4. हे0का0 अजय कुमार यादव, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ
5. का0 नीरज सिंह, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ।

जनपद मऊ/थाना सरायलखन्सी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 किलो 331 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 08.12.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हथिनी पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष उर्फ पिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 किलो 331 ग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना सरायलखन्सी पर एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरायलखन्सी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष उर्फ पिन्टू निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी

1–06 किलो 331 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर</u>

• पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 दो पहिया वाहन

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 07/08.12.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वलीपुरा नहर के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अफरोज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अफरोज निवासी खुशहाल पार्क (रामपार्क) लोनी थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–01 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

<u>जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर</u>

• 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.12.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हनुमान घाट बंधा रोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 आमिर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आमिर निवासी मुहल्ला नवापुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **10 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 08.12.2025 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मो0 शाहपुर कटरा कब्रिस्तान के पास से 03 अभियुक्तों 1–अमन उर्फ चमन 2–शिवम 3–अर्जुन उर्फ पतरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 10 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.10.2025 को थाना जैदपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अमन उर्फ चमन के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त शिवम व अर्जुन उर्फ पतरी के विरूद्ध थाना जैदपुर में चोरी आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध मे थाना जैदपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमन उर्फ चमन निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

2—शिवम निवासी ग्राम शाहपुर कडेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

3—अर्जुन उर्फ पतरी निवासी ग्राम शाहपुर कडेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—चोरी के भारी मात्रा में (पीली—सफेद) धातु के आभूषण।

2—10 हजार रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 52 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 01 किलो 263 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद**

दिनॉकः 07.12.2025 की रात्रि थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अगड़ीपुर वाले रास्ते पर बन्द पड़े क्रेशर के पास से अभियुक्त सरफराज उर्फ धौला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 52 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 01 किलो 263 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शामली व सहारनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरफराज उर्फ धौला निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ 52 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 01 किलो 263 ग्राम अवैध स्मैक आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना बरखेड़ा

●03 अभियुक्त गिरफ्तार

●02 किलोग्राम अवैध चरस

●6470/–रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन

●घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनॉकः 08.12.2025 को थाना बरखेड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुप्ता राईस मिल के पीछे से 03 अभियुक्तों 1–जाबिर 2–नासिर 3–हुसैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलोग्राम अवैध चरस, 03 मोबाइल फोन, 6470/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जाबिर निवासी ग्राम पौटाकला थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

2–नासिर निवासी–मो0 इस्लामनगर वार्ड नं0–09 कस्बा व थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

3–हुसैन निवासी न्यू कलैक्टर कम्पाउन्ड मालवाणी गेट नं0–7 मलाड वेस्ट खरोडी मुम्बई।

ब्रामदगी

1–02 किलोग्राम अवैध चरस

2–03 मोबाइल फोन।

3–6470/–रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

➢ **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/

504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पप्पू उर्फ शेरपाल 2–भारत 3–जितेन्द्र 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लिंकरोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना लिंकरोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त साहुल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————